फैक्स/समयबद्ध

संख्या- 1217/1-10-2015-12(34)/03टी0सी0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ: दिनांक : 18 दिसम्बर, 2015

विषय- वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से होने वाली जनहानि की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2015–16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु प्रति तहसील रू0 5.00 लाख एवं अलाव जलाये जाने हेतु प्रति तहसील रू0 50.00 हजार की धनराशि शा0सं0–1092/1–10–2014, दिनांक 04.11.2015 द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा शा0सं0–1156/1–10–2015, दिनांक 24.11.2015 द्वारा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं वितरण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में शा0सं0–1212/1–10–2015, दिनांक 14.12.2015 द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिदिन सूचना शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारीगण को ईमेल/एस0एम0एस0 के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ–साथ कोहरे का प्रकोप भी प्रारम्भ हो गया है। दैनिक समाचार पत्रों में अत्यधिक ठण्ड/शीतलहरी से जनहानि होने की सूचना प्रकाशित हो रही है।

3– अतः अनुरोध है कि अत्यधिक ठण्ड/शीतलहरी से जनहानि के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में अथवा किसी भी माध्यम से प्रकाशित/प्राप्त सूचना का स्वतः संज्ञान लेते हुये, उसकी जॉच एस0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से तत्काल कराई जाय। अत्यधिक ठण्ड/शीतलहरी से जनहानि होने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा उसका विवरण शासन को प्रतिदिन प्रेषित किया जाय।

4– उक्त के अतिरिक्त यह भी कहना है कि जॉच में यदि अत्यधिक ठण्ड/शीतलहरी से जनहानि होने की पुष्टि नहीं होती है तो इसका खण्डन तत्काल करते हुये उसका विवरण प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जाय।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।